



लघु वनोपज प्रसंस्करण एवं अनुसंधान केन्द्र, बरखेड़ा पठानी, भोपाल

अधि.क्र./एम.एफ.पी.-पार्क/निविदा/रॉ/2026/156

दिनांक 17.02.2026



निविदा फार्म का मूल्य-1000/- रुपये

लघु वनोपज प्रसंस्करण एवं अनुसंधान केन्द्र, बरखेड़ा पठानी, भोपाल में वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु हर्बल उत्पादों के निर्माण कार्य में प्रयुक्त होने वाली उच्च गुणवत्ता की प्रमाणित हर्बल कच्ची औषधियों/सामग्रियों की क्रय आपूर्ति के संबंध में जारी ई-निविदा

ऑनलाइन निविदा प्रस्ताव प्रस्तुत (अपलोड) करने की अंतिम तिथि

दिनांक 24.02.2026 समय दोपहर 12.00 बजे तक



लघु वनोपज प्रसंस्करण एवं अनुसंधान केन्द्र (एम.एफ.पी-पार्क)

वन परिसर, बरखेड़ा पठानी, भोपाल

(प्रधान कार्यालय-म.प्र.राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित)

फोन : (0755) 2970629, 2970630, 4331459

Website: [www.vindhyherbals.in](http://www.vindhyherbals.in) Email: [mfpparc@gmail.com](mailto:mfpparc@gmail.com)

**वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए हर्बल उत्पादों के निर्माण कार्य में प्रयुक्त होने वाले उच्च गुणवत्ता की हर्बल कच्ची औषधियों/सामग्रियों की क्रय आपूर्ति हेतु ई-निविदा की अधिसूचना**

मध्य प्रदेश राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ, मर्यादित भोपाल की आयुर्वेदिक एवं हर्बल उत्पादों के निर्माण एवं प्रसंस्करण इकाई लघु वनोपज प्रसंस्करण एवं अनुसंधान केन्द्र, बरखेड़ा पठानी, भोपाल में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिये आयुर्वेदिक एवं हर्बल उत्पादों के निर्माण कार्य में प्रयुक्त होने वाले उत्तम गुणवत्ता एवं प्रमाणित शुद्धता की हर्बल कच्ची औषधियों/सामग्रियों की क्रय आपूर्ति हेतु इच्छुक निविदाकारों से ई-निविदा के माध्यम से तकनीकी एवं वित्तीय प्रस्ताव आमंत्रित किए जाते हैं।

1. ऑनलाइन ई-निविदा से संबंधित दस्तावेज एवं विवरण म.प्र.शासन के पोर्टल <https://mptenders.gov.in> पर निर्धारित समय सीमा एवं अवधि हेतु उपलब्ध रहेगा।
2. इच्छुक निविदाकर्ता को ऑनलाइन आवेदन करने के पूर्व अपने डिजिटल हस्ताक्षर के माध्यम से म.प्र.शासन के पोर्टल <https://mptenders.gov.in> पर निर्धारित शुल्क जमा कर पंजीयन (registration) कराना आवश्यक है।

**निविदा के संबंध में निर्धारित समय सारणी**

कार्यविवरण	दिनांक एवं समय
ऑनलाइन निविदा प्रपत्र डाउनलोड करने का समय	दिनांक 18.02.2026 सायं 5.00 बजे से दिनांक 24.02.2026 को दोपहर 12.00 बजे तक निविदा प्रपत्र <a href="https://mptenders.gov.in">https://mptenders.gov.in</a> पर ऑनलाइन उपलब्ध रहेगा।
ऑनलाइन निविदा (तकनीकी एवं वित्तीय) भरने/अपलोड करने की अंतिम दिनांक एवं समय	दिनांक 24.02.2026 को दोपहर 12.00 बजे तक- वेबसाइट <a href="https://mptenders.gov.in">https://mptenders.gov.in</a> पर ऑनलाइन भरना/अपलोड करना।
रॉ मटेरियल के सेम्पल जमा करने का अंतिम दिनांक एवं समय	दिनांक 24.02.2026 को दोपहर 12.00 बजे तक- लघुवनोपज प्रसंस्करण एवं अनुसंधान केन्द्र, बरखेड़ा पठानी भोपाल में जमा करना होगा।
प्री-बिड मीटिंग दिनांक एवं समय	दिनांक 20.02.2026 को अपराह्न 3.00 बजे
ऑनलाइन तकनीकी निविदा खोलने का दिनांक एवं समय	दिनांक 25.02.2026 को दोपहर 12.00 बजे से
तकनीकी निविदा में सफल निविदाकारों के ऑनलाइन वित्तीय निविदा प्रस्ताव खोलने का दिनांक एवं समय	तकनीकी निविदा की कार्यवाही उपरान्त वित्तीय निविदा प्रस्ताव खोलने के संबंध में पृथक से सूचित किया जावेगा।
निविदा प्रपत्र का शुल्क	राशि रूपये 1000/- (रु. एक हजार) का भुगतान ई-पेमेन्ट द्वारा ऑनलाईन जमा करना होगा।
ऑनलाइन निविदा प्रक्रिया शुल्क	पोर्टल <a href="https://mptenders.gov.in">https://mptenders.gov.in</a> की शर्तों अनुसार पोर्टल में दर्शित प्रोसेसिंग फीस को निविदाकार को ई-पेमेंट द्वारा जमा करना होगा।
निविदा प्रतिभूति (ई.एम.डी.) राशि	राशि रूपये 50,000/- (रूपये पचास हजार मात्र) का भुगतान ई-पेमेन्ट द्वारा ऑनलाईन जमा करना होगा।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी  
लघुवनोपज प्रसंस्करण एवं अनुसंधान केन्द्र, भोपाल

**ऑनलाइन निविदा प्रक्रिया से संबंधित दिशा-निर्देश एवं शर्तः-**

1. प्रथम बार ई-टेंडरिंग में भाग लेने वाले निविदाकार, निविदा भरने से पूर्व पंजीयन, डिजिटल हस्ताक्षर आदि औपचारिकताओं की पूर्ति अग्रिम में कर लें।
2. **निविदा प्रपत्र शुल्क**—निविदा में भाग लेने के इच्छुक निविदाकार को सर्वप्रथम म.प्र.शासन के पोर्टल <https://mptenders.gov.in> पर ऑनलाईन पंजीयन प्रक्रिया पूर्णकर, रु. 1000/- के ई-पेमेंट से द्वारा निविदा प्रपत्र क्रय कर निविदा प्रक्रिया में भाग ले सकेगा।
3. **प्रोसेसिंग फीस**—पोर्टल <https://mptenders.gov.in> की शर्तों अनुसार पोर्टल में दर्शित प्रोसेसिंग फीस को निविदाकार को ई-पेमेंट द्वारा जमा करना होगा।
4. **निविदा प्रतिभूति (Earnest Money Deposit)**— निविदा प्रतिभूति (EMD) की राशि रुपये 50,000/- (रुपये पचास हजार मात्र) होगी, जिसे ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से ई-पेमेंट द्वारा जमा करना होगा। निविदा प्रतिभूति (EMD) राशि अन्य किसी भी रूप में स्वीकार नहीं की जावेगी। निविदा प्रतिभूति (EMD) राशि पर किसी भी प्रकार का ब्याज देय नहीं होगा।
5. निविदाकार, म.प्र.शासन के पोर्टल <https://mptenders.gov.in> के माध्यम से दिनांक 18.02.2026 से दिनांक 24.02.2026 को दोपहर 12.00 बजे तक तकनीकी निविदा एवं वित्तीय निविदा ऑनलाइन अपलोड कर सकेंगे।
6. निविदाकारों को निविदा से संबंधित स्पष्टीकरण या नियत तिथि वृद्धि की सूचना हेतु ई-टेंडरिंग वेबसाइट का नियमित अवलोकन करते रहना चाहिए।
7. निविदा अहस्तांतरणीय है। निविदा फार्म हेतु जमा की गई राशि वापिस नहीं की जावेगी। निविदा प्रतिभूति (ई.एम.डी.) राशि के बिना निविदा निरस्त कर दी जाएगी।
8. निविदाकार को निविदा प्रपत्र ऑनलाइन फॉर्मेट में डिजिटल साईन के साथ प्रस्तुत करना होगा। इस हेतु निविदाकार को <https://mptenders.gov.in> पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीयन करना होगा। उक्त पोर्टल पर पंजीयन की प्रक्रिया एवं निविदा ऑनलाईन क्रय/जमा करने की प्रक्रिया संबंधी जानकारी हेतु टोल फ्री नं. 0120-4200462/4001002 पर कार्य दिवसों में प्रातः 10 से सायं 7 बजे तक या ईमेल—[eproc@nic.in](mailto:eproc@nic.in) पर संपर्क कर सकते हैं। ऑनलाइन निविदा में भाग लेने के लिए डिजिटल सर्टिफिकेट, इन्फोरमेशन टेक्नोलाजी अधिनियम-2000 के तहत प्राप्त करना होगा। निविदाकार डिजिटल सर्टिफिकेट, सीसीए द्वारा स्वीकृत संस्था से प्राप्त कर सकते हैं। जिन निविदाकारों के पास पूर्व से वैध डिजिटल सर्टिफिकेट है, उन्हें नया डिजिटल सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नहीं है।
9. सर्शत प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया जावेगा।
10. ऑनलाइन निविदा प्रस्ताव के 2 इलेक्ट्रॉनिक लिफाफे होंगे—
  - (1) तकनीकी निविदा
  - (2) वित्तीय निविदा
11. तकनीकी निविदा प्रस्ताव में वांछित दस्तावेजों की प्रतियां जोकि अधिकृत व्यक्ति द्वारा सील सहित स्व-प्रमाणित हो, स्कैन कर अपलोड करनी होगी।
12. निविदाकार का निम्नानुसार 3 वित्तीय वर्षों का औसत टर्नओवर न्यूनतम रुपये 70 लाख होना आवश्यक है—
  - (अ) वित्तीय वर्ष 2022-23
  - (ब) वित्तीय वर्ष 2023-24
  - (स) वित्तीय वर्ष 2024-25

13. ऑनलाइन वित्तीय निविदा भरते समय निविदाकार यह सुनिश्चित करले कि उसके द्वारा प्रस्तुत आपूर्ति के प्रस्तावों हेतु बिन्दु क्र. 20.11 अनुसार गुणवत्ता परीक्षण बावत कार्यवाही पूर्ण कर ली गई है तथा परिशिष्ट-6 में वर्णित सामग्री की आपूर्ति निर्धारित समय सीमा में करने हेतु वह सक्षम है।
14. आपूर्ति की गई सामग्री यदि निर्धारित मानदंडों एवं उच्च गुणवत्ता के अनुरूप नहीं पाई जाती तो निविदाकार स्वयं के व्यय पर समयावधि में उसे बदलेगा। मानक अनुरूप आपूर्ति न करने की दशा में नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।
15. निविदा के संबंध में प्रि-बिड बैठक दिनांक 20.02.2026 को अपरान्ह 3.00 बजे एम.एफ.पी. पार्क में होगी। निविदा प्रस्ताव प्रपत्र इलेक्ट्रानिक फार्मेट में म.प्र.शासन की बेवसाइट <https://mptenders.gov.in> पर ऑनलाइन दिनांक 24.02.2026 को दोपहर 12.00 बजे तक अपलोड कराए जा सकते हैं। ऑनलाइन प्राप्त तकनीकी निविदाएं "मुख्य कार्यपालन अधिकारी, लघु वनोपज प्रसंस्करण एवं अनुसंधान केन्द्र (एम.एफ.पी.-पार्क), वन परिसर, बरखेड़ा पठानी, भोपाल के कार्यालय में दिनांक 25.02.2026 को दोपहर 12.00 बजे से अधिकृत समिति द्वारा निविदाकार अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिधियों की उपस्थिति में खोली जाएंगी।
16. यदि किसी कारणवश उस दिन अवकाश रहता है, अथवा तकनीकों कारणों से निविदा नहीं खुल पाने की स्थिति में अगले कार्यदिवस में निर्धारित समय पर निविदाएं खोलने की कार्यवाही की जाएगी।
17. निविदा से संबंधित समस्त प्रक्रियाएं ऑनलाईन होगी।
18. निविदा खोलने की तिथि को किसी कारणवश यदि सभी निविदा नहीं खोले जा सकने की स्थिति में अगले कार्यदिवस में शेष निविदा खोलने का कार्य जारी रहेगा।
19. तकनीकी निविदा में सफल निविदाकारों की ही वित्तीय निविदाएं खोली जाएगी।
20. निविदाकार द्वारा निविदा प्रपत्र के साथ निम्नलिखित दस्तावेज स्केन कर ऑनलाईन दिनांक 24.02.2026 को दोपहर 12.00 बजे तक पोर्टल पर जमा (अपलोड) कराया जाना तथा औषधियों के सेम्पल्स भौतिक रूप से "मुख्य कार्यपालन अधिकारी", लघु वनोपज प्रसंस्करण एवं अनुसंधान केन्द्र (एम.एफ.पी.-पार्क), वन परिसर, बरखेड़ा पठानी, भोपाल के कार्यालय की निविदा शाखा में जमा कराया जाना होगा है—
  - 20.1 ई-पेमेंट द्वारा जमा निविदा प्रपत्र शुल्क व निविदा प्रतिभूति(ई.एम.डी.) राशि का ब्यौरा।
  - 20.2 संस्था के पंजीयन के प्रमाण पत्र की सत्यापित छायाप्रति।
  - 20.3 पेन/टेन की सत्यापित छायाप्रति।
  - 20.4 निविदाकार का GST पंजीयन प्रमाण की सत्यापित छायाप्रति।
  - 20.5 चार्टर्ड एकाउंटेंट/अंकेक्षक द्वारा प्रमाणीकृत विगत तीन वित्तीय वर्षों (FY 2022-23, 2023-24 एवं 2024-25) के टर्नओवर की प्रति।
  - 20.6 पिछले 3 आंकलन वर्षों (AY 2023-24, 2024-25 एवं 2025-26) हेतु जमा आयकर विवरणिका (ITR) की प्रति।
  - 20.7 संस्था द्वारा निविदा में भाग लेने के लिये संस्था के लेटरहेड पर अधिकार पत्र।
  - 20.8 निविदाकार को 100 रुपए के नान-ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर अथवा संस्था के लेटरहेड पर स्वयं सत्यापित प्रमाण पत्र देना होगा, जिसमें यह घोषणा की जावेगी कि

निविदाकर्ता का नाम केन्द्र शासन/किसी भी राज्य शासन के विभाग एवं उसके निगम मंडल की काली सूची में दर्ज नहीं है।

- 20.9 प्रदाय प्रत्येक सेम्पल/पैकेट के ऊपर आपूर्तिकर्ता का नाम एवं उत्पाद का नाम, सामग्री के आयटम कोड नम्बर सहित निविदा प्रपत्र में उल्लेखित सूची के अनुसार स्पष्ट तौर पर लिखा जाए। आपूर्ति हेतु प्रस्तावित उत्पादों की सूची अपलोड किया जावे एवं सेम्पल बाक्स के साथ संलग्न किया जावे। प्रस्तावित कच्ची सामग्री के सेम्पल निम्नानुसार मात्रा में संलग्न किया जाना अनिवार्य है –
- हर्बल कच्ची सामग्री – 100 ग्राम पैकिंग साईज में
  - तरल सामग्री – 100 एमएल पैकिंग साईज में
  - भस्म/मसाले/रसायन – 50 ग्राम पैकिंग साईज में
- प्रदाय सेम्पल/उत्पाद उपरोक्तानुसार पैकिंग साईज में न पाये जाने पर अमान्य कर दिये जाएंगे।
- 20.10 उपरोक्त वर्णित बिन्दु क्रमांक— 20.1 से 20.09 तक के प्रपत्र एवं दस्तावेज हस्ताक्षर व मुद्रा सहित स्केन कर ऑनलाइन जमा करना एवं सेम्पल प्रस्तुत करना अनिवार्य है, ऐसा न किये जाने पर संबंधित निविदाकार की निविदा निरस्त कर दी जाएगी। निविदा निरस्त होने की स्थिति में किसी भी प्रकार का विवाद स्वीकार्य नहीं होगा।
- 20.11 परिशिष्ट-1 के अनुसार निविदाकार द्वारा घोषणा, हस्ताक्षर मुद्रा सहित प्रस्तुत करना।
- 20.12 निविदाकार की संस्था/उसके सहभागी/गठन का पता, दूरभाष नं., फ़ैक्स नं., ई-मेल नं. का दस्तावेज, परिशिष्ट-2 के अनुसार हस्ताक्षर एवं मुद्रा सहित प्रस्तुत करना।
- 20.13 निविदाकार चैकलिस्ट परिशिष्ट-3 अनुसार क्रमबद्ध तरीके से अभिलेखों को एकसाथ बांधकर संलग्न करेंगे।
- 20.14 निविदा प्रपत्र व संलग्न दस्तावेजों के प्रत्येक पृष्ठ पर सील सहित हस्ताक्षर किये जाए।
21. यह संस्थान विलम्ब या अप्राप्त होने वाली तकनीकी निविदा के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। फ़ैक्स या ई-मेल से भेजी गई निविदा स्वीकार नहीं होगी।
- 22 वित्तीय निविदा प्रस्ताव निविदाकार परिशिष्ट-6 की सूची अनुसार उत्पादों के लिये अपनी दर निर्धारित कालम में ऑनलाइन ही प्रस्तुत करेंगे। भौतिक रूप से वित्तीय निविदाएं मान्य नहीं की जाएंगी।
- 22.1 वित्तीय निविदा में उत्पाद की दरें प्रति किलोग्राम/लीटर के अनुसार बिना कर/टेक्स के प्रस्तुत की जाएं।
- 22.2 प्रस्तुत उत्पादों की दरें भोपाल स्थित केन्द्र तक माल पहुंचाने, परिवहन एवं अनलोडिंग सहित होंगी।
- 22.3 प्रदायित सामग्री पर नियमानुसार टेक्स/करों का भुगतान किया जाएगा।
- 23 किसी भी निविदा को स्वीकार/अस्वीकार करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी लघुवनोपज प्रसंस्करण एवं अनुसंधान केन्द्र, भोपाल का होगा।
- 24 सफल निविदाकार को दर स्वीकृति की सूचना पत्र द्वारा प्रेषित की जावेगी।
- 25 निष्पादन प्रतिभूति (Performance Guarantee)– “म.प्र.भण्डार क्रय नियम एवं सेवा उपार्जन नियम, 2015 यथा संशोधित-2022” अनुसार निविदा के उचित निष्पादन सुनिश्चित करने हेतु सफल निविदाकार को निष्पादन प्रतिभूति राशि सुरक्षा निधि के रूप में 7 दिवस के भीतर जमा करना होगी। सफल निविदाकार को करारनामा किये जाने के पूर्व प्रत्येक आयटम/सामग्री का संविदा मूल्य (स्वीकृत दर और आवश्यक मात्रा के गुणन) की 3 प्रतिशत निष्पादन प्रतिभूति राशि किसी भी वाणिज्यिक बैंक से डिमांड ड्राफ्ट, मियादी जमा रसीद अथवा बैंकर्स चैक "CEO, MFP-

- PARC, Bhopal" के नाम से भोपाल में देय अथवा 18 माह के लिए वैध बैंक गारंटी "CEO, MFP-PARC, Bhopal" के पक्ष में जमा करना अनिवार्य होगा। निर्धारित समयावधि में निष्पादन प्रतिभूति (Performance Guarantee) जमा न कराये जाने पर संबंधित निविदाकार की निविदा निरस्त करने अथवा निविदाकार को देय राशि से वसूलने एवं ई.एम.डी. राजसात करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी को होगा।
- 26 सफल निविदाकर्ता से सुरक्षा निधि के रूप में निष्पादन प्रतिभूति (Performance Guarantee) राशि प्राप्त होने पर ही निविदाकर्ता द्वारा पोर्टल पर ऑनलाईन जमा निविदा प्रतिभूति (EMD) राशि को पोर्टल शर्त अनुसार वापस उनके खाते में लौटाया जावेगा।
- 27 **निविदाकार का करारनामा**— सफल निविदाकार द्वारा रुपये 100/- के नॉनज्यूडिशियल/नोटराइज्ड स्टाम्प पत्र पर एक करारनामा (जिसका वहन निविदाकार द्वारा किया जावेगा) "मुख्य कार्यपालन अधिकारी, लघु वनोपज प्रसंस्करण एवं अनुसंधान केन्द्र, भोपाल" के साथ स्वीकृति की सूचना के 7 कार्य दिवस के अन्दर किया जाना अनिवार्य है।
- 28 **आपूर्ति की शर्तें**—
- 28.1 निविदाकार को केन्द्र की आवश्यकतानुसार कब-कब, क्या-क्या और कितनी मात्रा में उत्पाद आपूर्ति/सप्लाई करना है इसकी सूचना पृथक से समय-समय पर लिखित में दी जावेगी। आपूर्ति/सप्लाई लघुवनोपज प्रसंस्करण एवं अनुसंधान केन्द्र, वन परिसर बरखेड़ा पठानी, भोपाल में की जाएगी।
- 28.2 परिशिष्ट-5 में उल्लेखित गुणवत्ता मानकों का सख्ती से पालन कर सामग्रियों की आपूर्ति की जावे।
- 28.3 आवश्यकतानुसार आपूर्तिकर्ता द्वारा प्रदाय की जाने वाली सामग्री के प्राप्ति स्रोत का विवरण देना अनिवार्य है।
- 28.4 **उत्पादों की परिशिष्ट-6** में उल्लेखित पूरी मात्रा एकबार में लिया जाना अनिवार्य नहीं है। समय-समय पर केन्द्र की आवश्यकता अनुसार उत्पाद मंगाये जावेंगे। मात्रा को कम करना या बढ़ाने का अधिकार "मुख्य कार्यपालन अधिकारी लघुवनोपज प्रसंस्करण एवं अनुसंधान केन्द्र, भोपाल" को होगा।
- 28.5 यदि सप्लाई आदेश उपरांत अधिकतम 15 कार्य दिवसों में नहीं की जाती है तो "मुख्य कार्यपालन अधिकारी लघुवनोपज प्रसंस्करण एवं अनुसंधान केन्द्र, भोपाल" को यह अधिकार होगा कि वह कुल सप्लाई मूल्य की 1% राशि पैनल्टी के रूप में निविदाकार की जमा Performance Guarantee में से कटौती कर लें एवं निविदाकार को उक्त सामग्री के लिए तीन वर्षों के लिए प्रतिबंधित (ब्लैकलिस्ट) कर दिया जावे।
- 28.6 निविदाकार द्वारा भेजे गए उत्पाद/सामग्री की प्राप्ति के समय मात्रा में कमी या ह्रास की जिम्मेदारी निविदाकार की होगी। जिस उत्पाद के लिए सप्लाई आदेश जारी नहीं किया गया उसकी प्राप्ति के लिए एम.एफ.पी.पार्क, भोपाल उत्तरदायी नहीं होगा। सप्लाई आदेश में उल्लेखित सामग्री से अधिक आपूर्ति करने पर अतिरिक्त मात्रा की राशि का भुगतान नहीं किया जावेगा। अतः सप्लाई आदेश अनुसार ही सामग्री की आपूर्ति की जावे।
- 28.7 सफल निविदाकार के कार्यालय और गोदाम का मुख्य कार्यपालन अधिकारी, एम.एफ.पी. पार्क, भोपाल या उनके नामित कोई प्रतिनिधि निरीक्षण कर सकेगा।
- 28.8 निविदाकार द्वारा कोई भी उत्पादों की आपूर्ति sublet द्वारा नहीं की जा सकेगी।
- 28.9 सफल निविदाकार द्वारा उल्लेखित उत्पाद/सामग्री की निर्धारित मात्रा एवं समय पर प्रदाय न करने की दशा में एल-2 निविदाकार से एल-1 दर क्रय कर लिया जायेगा, एल-2 निविदाकार द्वारा सामग्री प्रदाय न करने पर एल-3 निविदाकार से एल-1 दर पर (म.प्र.भण्डार क्रय नियम एवं सेवा उपार्जन नियम, 2015 यथा संशोधित-2022

अनुसार) क्रय कर लिया जायेगा तथा क्रय किये गये कच्ची सामग्री के मूल्य में यदि कोई अन्तर होता है तो अन्तर की राशि सफल निविदाकार से वसूल की जायेगी। ऐसी स्थिति में निविदाकार द्वारा सुरक्षा निधि के रूप में जमा निष्पादन प्रतिभूति राशि अधिग्रहित की जा सकेगी।

28.10 केन्द्र के हितो को ध्यान में रखते हुए किसी भी सामग्री की स्वीकृत निविदाकार के अतिरिक्त अन्य से क्रय करने का सम्पूर्ण अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी को होगा।

#### 29 भुगतान—

- 29.1 आपूर्ति हेतु उत्पाद की कीमत के विरुद्ध कोई अग्रिम भुगतान नहीं किया जावेगा।
- 29.2 आपूर्ति उत्पाद की प्राप्ति के उपरांत प्रयोगशाला द्वारा सकारात्मक गुणवत्ता परीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त होने पर 45 कार्य दिवस के भीतर देयक का भुगतान किया जावेगा।
- 29.3 निविदा प्रतिभूति (ई.एम.डी.) एवं निष्पादन प्रतिभूति राशि पर कोई भी ब्याज देय नहीं होगा। असफल निविदाकार को उनके द्वारा जमा की गई निविदा प्रतिभूति राशि पोर्टल से ऑनलाईन उनके खाते में वापस कर दी जावेगी।
- 30 निविदा में स्वीकृत दरें वित्तीय वर्ष 2025–26 की समाप्ति/आगामी निविदा दरों की स्वीकृति तक मान्य होगी। इस अवधि में निविदा में उल्लेखित सामग्रियों की दरें को कभी भी निरस्त किये जाने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी को होगा।
- 31 सफल निविदाकर्ता को उनके द्वारा जमा निष्पादन प्रतिभूति (Performance Guarantee) की राशि वित्तीय वर्ष समाप्ति/आगामी निविदा स्वीकृति उपरांत पृथक से लौटाई जावेगी।
- 32 असुविधा से बचने के लिए कृपया निविदा भरने हेतु अंतिम दिनांक की प्रतीक्षा न करें। समस्त प्रक्रियाएं निर्धारित प्रपत्रों में ही करें।
- 33 **भुगतान में कटौती**—यदि प्रदाय उत्पाद/सामग्री की मात्रा में कमी/ह्रास होता है तो भुगतान में उसकी कटौती की जावेगी।
- 34 सफल निविदाकार के भुगतान में से शासन नियमानुसार करों (टी.डी.एस. व जी.एस.टी.—टी.डी.एस. आदि) की कटौती की जावेगी।
- 35 निविदा के सम्बन्ध में किसी भी तरह के विवाद की स्थिति में प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य लघुवनोपज संघ, भोपाल का निर्णय अंतिम तथा बंधनकारी होगा।
- 36 न्यायालयीन विवाद की स्थिति में न्यायिक क्षेत्र भोपाल रहेगा।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी,  
एम.एफ.पी.-पार्क, बरखेड़ा पठानी, भोपाल



परिशिष्ट -1

**:: घोषणा ::**

1. मैं (नाम) .....आत्मज.....  
एतद् द्वारा कथन करता हूँ कि मेरे द्वारा निविदा की समस्त शर्तों का अध्ययन कर लिया गया है तथा सभी शर्तें मान्य हैं।
2. मैं (नाम) .....आत्मज.....  
एतद् द्वारा निविदा प्रतिभूति (ई.एम.डी.) राशि रु. ....  
ई-पेमेंट रसीद क्र. .... दिनांक ..... द्वारा  
ऑनलाइन भुगतान कर दिया है।
3. मेरे द्वारा निविदा के शर्तों अधि. क्र./एम.एफ.पी.  
-पार्क/निविदा/रॉ/2026/156 दिनांक 17.02.2026 के उल्लंघन अथवा  
पालन नहीं होने की दशा में मुख्य कार्यपालन अधिकारी, लघु वनोपज प्रसंस्करण  
एवं अनुसंधान केन्द्र, बरखेड़ा पठानी, भोपाल के द्वारा निविदा शर्तों के अनुसार  
जो भी दण्ड दिया जायेगा, मैं उसका प्रतिभागी होऊँगा।

दिनांक .....

निविदाकार के हस्ताक्षर

**साक्षी**

1. हस्ताक्षर नाम .....
- नाम..... निविदाकार का पूरा पता
- पता ..... (पत्र व्यवहार के लिये)
- .....
- दूरभाष क्र.....
- .....
2. हस्ताक्षर दूरभाष क्र. ....
- नाम .....
- पता .....
- दूरभाष क्र.....



संस्था/फर्म/वितरक/एजेण्ट की जानकारी

निविदाकार/संस्था/फर्म/का नाम :

पत्र व्यवहार का पता :

स्थायी पता :

दूरभाष क्र. :

फैक्स क्र. :

ई-मेल क्र. :

GST क्र. :

हस्ताक्षर .....

नाम .....

पदनाम .....

दूरभाष क्र. ....

चेक लिस्ट/जाँच सूची

क्र.	दस्तावेजों का विवरण	पृष्ठ संख्या		रिमार्क
		से	तक	
1.	ई-पेमेंट द्वारा जमा निविदा शुल्क का ब्यौरा			
2.	ई-पेमेंट द्वारा जमा निविदा प्रतिभूति (ई.एम.डी.) राशि का ब्यौरा			
3.	फर्म/संस्था/कम्पनी के पंजीयन का प्रमाण पत्र			
4.	आयकर विभाग द्वारा जारी पेन/टेन कार्ड की प्रति			
5.	जीएसटी पंजीयन प्रमाण-पत्र			
6.	सी.ए./अंकेक्षक द्वारा प्रमाणिकृत तीन वर्षों (FY 2022-23, 2023-24 एवं 2024-25) के टर्नओवर की प्रति।			
7.	तीन आंकलन वर्षों (AY 2023-24, 2024-25 एवं 2025-26) की जमा आयकर विवरणिका (आई.टी.आर.) की प्रतियाँ			
8.	निविदा में भाग लेने के लिए संस्था के लेटरहेड पर अधिकार पत्र			
9.	काली सूची में शामिल न होने का घोषणा पत्र			
10.	निविदाकार द्वारा घोषणा, परिशिष्ट-I			
11.	वितरक/एजेण्ट की जानकारी, परिशिष्ट-II			

नोट:- निविदाकार उपरोक्तानुसार अभिलेखों को सील, साईन सहित संलग्न कर प्रस्तुत करेंगे।

हस्ताक्षर .....

नाम .....

पदनाम .....

दूरभाष क्र. ....

कच्चे माल की सामान्यतः विशिष्टताएँ

परिशिष्ट -4

<p><b>पूरा पौधा (Whole Plant) : ताजा (Fresh)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>पौधे का पूरा पंचांग मौजूद होना चाहिए। यह नष्ट या मुरझाया हुआ नहीं होना चाहिए।</li> <li>पौधा ताजा और साफ होना चाहिए। मिट्टी के कण, कीचड़ या अन्य संक्रमण से मुक्त होना चाहिए।</li> <li>पौधा दीमक से संक्रमित या फंगस, कीड़े या कीटों से संक्रमित नहीं होना चाहिए।</li> </ul> <p><b>पूरा पौधा (Whole Plant) : सूखा (Dry)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>पौधे का पूरा हिस्सा मौजूद होना चाहिए।</li> <li>पौधा सूखा होना चाहिए।</li> <li>दीमक, कवक या अन्य सूक्ष्म जीवों या कीटों से मुक्त होना चाहिए।</li> </ul> <p><b>जड़ें (Roots) : ताजा (Fresh)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>जड़ों का पूरा हिस्सा मौजूद होना चाहिए।</li> <li>जड़ें साफ होना चाहिए। मिट्टी के पदार्थ, कीचड़, जानवरों के मलमूत्र या अन्य संक्रमण से मुक्त होना चाहिए।</li> <li>कुछ पौधों की जड़ें जैसे कि, डेस्मोडियम गैंगेटिकम, एरवा लनाटा आदि जड़ी-बूटियों के मामले में पहचान के लिए 1 या 2 पत्ते रखे जाने चाहिए। जड़ी-बूटियों के तने की लंबाई जड़ की लंबाई के बराबर मानी जा सकती है।</li> <li>रिसिनस कम्युनिस, सोलनम जैथोकार्पम, सोलनम इंडिकम जैसी झाड़ियों के लिए तने की लंबाई जड़ की लंबाई से दोगुनी मानी जा सकती है। परिपक्व होना चाहिए।</li> </ul> <p><b>जड़ें (Roots) : सूखा (Dry)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>जड़ का पूरा हिस्सा मौजूद होना चाहिए।</li> <li>दीमक, फफूंद या अन्य सूक्ष्म जीवों के संक्रमण से मुक्त होना चाहिए।</li> <li>मिट्टी के पदार्थ, कीचड़, जानवरों के मलमूत्र या अन्य संक्रमण से मुक्त होना चाहिए। साफ और सूखा होना चाहिए।</li> </ul> <p><b>प्रकंद (Rhizomes): ताजा (Fresh)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>आपूर्ति के दौरान ताजा होना चाहिए।</li> <li>प्रकंद साफ होना चाहिए। मिट्टी के पदार्थ, कीचड़, जानवरों के मलमूत्र या अन्य संक्रमण से मुक्त होना चाहिए।</li> <li>नष्ट या सिकुड़ा हुआ या मुरझाया हुआ नहीं होना चाहिए।</li> <li>कृतक या कीड़े या कीट या कवक द्वारा संक्रमित नहीं होना चाहिए।</li> </ul>	<p><b>प्रकंद (Rhizomes) : सूखा (Dry)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>कवक या अन्य सूक्ष्म जीवों से मुक्त होना चाहिए।</li> <li>कृतक या कीड़े या कीट या कवक द्वारा संक्रमित नहीं होना चाहिए।</li> <li>प्रकंद साफ होना चाहिए। मिट्टी के पदार्थ, कीचड़, जानवरों के मलमूत्र या अन्य संक्रमण से मुक्त होना चाहिए।</li> <li>प्रकंद पूर्णतः सूखा होना चाहिए।</li> </ul> <p><b>वल्लरी/लताएँ (Twinnings): ताजा (Fresh)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>आपूर्ति के दौरान ताजा होना चाहिए।</li> <li>नष्ट या सिकुड़ा हुआ या मुरझाया हुआ नहीं होना चाहिए।</li> </ul> <p><b>वल्लरी/लताएँ (Twinnings): सूखा (Dry)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>कवक, मिट्टी के पदार्थ, कीचड़, जानवरों के मलमूत्र या अन्य संक्रमण से मुक्त होना चाहिए।</li> </ul> <p><b>तना (Stems) : ताजा (Fresh)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>आपूर्ति के दौरान ताजा होना चाहिए।</li> <li>सही पहचान के लिए तने की छाल की विशेष संरचना स्पष्ट होनी चाहिए।</li> <li>कीटों या कीड़ों द्वारा संक्रमित नहीं होना चाहिए।</li> </ul> <p><b>तना (Stems) : सूखा (Dry)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>कवक, मिट्टी के पदार्थ, कीचड़, पशु मल या अन्य संक्रमण से मुक्त होना चाहिए।</li> <li>आपूर्ति के दौरान सूखा होना चाहिए। तने की छाल की विशेष संरचना स्पष्ट होनी चाहिए ताकि सही पहचान हो सके।</li> </ul> <p><b>पत्तियाँ (Leaves): ताजा (Fresh)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>आपूर्ति के दौरान ताजा होना चाहिए।</li> <li>पत्तों की आपूर्ति करते समय मोटी शाखाएँ मौजूद नहीं होनी चाहिए। तृतीयक शाखाएँ (Tertiary branches) हो सकती हैं।</li> <li>नष्ट या सिकुड़ा हुआ या मुरझाया हुआ नहीं होना चाहिए।</li> <li>कीटों या कीड़ों द्वारा संक्रमित नहीं होना चाहिए।</li> </ul> <p><b>पत्तियाँ (Leaves): सूखा (Dry)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>कवक, मिट्टी के पदार्थ, कीचड़, जानवरों के मलमूत्र या अन्य संक्रमण से मुक्त होना चाहिए।</li> </ul>	<p><b>फूल (Flowers): ताजा (Fresh)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>आपूर्ति के दौरान फूल ताजा होना चाहिए।</li> <li>नष्ट या सिकुड़ा हुआ या मुरझाया हुआ नहीं होना चाहिए। कीटों या कीड़ों द्वारा संक्रमित नहीं होना चाहिए।</li> </ul> <p><b>फूल (Flowers): सूखा (Dry)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>फफूंद, मिट्टी, कीचड़, जानवरों के मलमूत्र या अन्य संक्रमण से मुक्त होना चाहिए।</li> </ul> <p><b>फल (Fruits): ताजा (Fresh)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>यदि कच्चे फल कि मांग कि गयी है तो फल पूर्णतः कच्चा होना चाहिए। कीड़े या कीटों से मुक्त होना चाहिए।</li> <li>आपूर्ति के दौरान फल ताजा और परिपक्व होना चाहिए।</li> <li>खराब या मुरझाया हुआ, अधिक पका हुआ या कृत्रिम रूप से पका हुआ या चोटिल या सिकुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए। कीटों या कीड़ों या कृन्तकों द्वारा संक्रमित नहीं होना चाहिए।</li> </ul> <p><b>फल (Fruits): सूखा (Dry)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>कवक, मिट्टी के पदार्थ, कीचड़, पशु मल या अन्य संक्रमण से मुक्त होना चाहिए।</li> <li>आपूर्ति के दौरान फल सूखा होना चाहिए।</li> <li>सूखे फलों के छिलके बीज रहित होने चाहिए।</li> </ul> <p><b>हार्टवुड (Heart woods) : सूखा (Dry)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>कवक, मिट्टी के पदार्थ, कीट या कीड़े से मुक्त होना चाहिए।</li> <li>आपूर्ति के दौरान सूखा होना चाहिए। लकड़ी की परिधि 30 सेमी से कम नहीं होनी चाहिए और कैसलपिनिया सैप्पन के मामले में पर्याप्त हार्टवुड मौजूद होना चाहिए।</li> </ul> <p><b>एक्सयूडेट्स (Exudates)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>कवक, मिट्टी के पदार्थ, कीड़े या अन्य अशुद्धियों से मुक्त होना चाहिए।</li> <li>जिस पौधे का एक्सयूडेट्स है, केवल उस ही पौधे से निकला हुआ, किसी भी प्रकार कि मिलावट से रहित होना चाहिए।</li> </ul> <p><b>बीज (Seeds)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>बीज साफ और सूखा होना चाहिए।</li> <li>बीज धूल, पत्थर, मिट्टी, तथा अन्य संक्रमित पदार्थों से मुक्त होना चाहिए।</li> </ul>
--	--	---



लघु वनोपज प्रसंस्करण एवं अनुसंधान केन्द्र, बरखेड़ा पठानी, भोपाल



अधि.क्र./एम.एफ.पी.-पार्क/निविदा/रॉ/2026/156

दिनांक 17.02.2026

वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु कच्ची हर्बल औषधियां/सामग्रियां

परिशिष्ट -5

Sl. No.	Item Code	Common Hindi Name	Botanical Name	Quantity (in Kg)	Parts	Condition
1	पी-1	आक जड़ (Aak Jad)	Calotropis gigantea (Linn). R. Brown	200	Roots	Dried
2	पी-2	अतीबला (Atibala)	Abutilon indicum (L.)	5000	Roots/ Whole part	Dried
3	पी-3	बबूल छाल (Babul Chhal)	Acacia nilotica (L.) Willd. ex Dellile (Fig	500	Stem bark	Dried
4	पी-4	धमासा (Dhamasa)	Fumaria parviflora Lam.	500	Whole plant	Dried
5	पी-5	एंडमूल (Erاندmool)	Ricinus communis Linn.	6000	Stem stock with roots	Dried
6	पी-6	गुलर छाल (Gular Chhal)	Ficus glomerata L.	1000	Stem bark	Dried
7	पी-7	जीवक (Jeevak)	Malaxis muscifera (Lindley) O. Kuntze.	700	Bulb	Dried
8	पी-8	जीवन्ती (Jeevanti)	Leptadenia reticulata (Retz.) Wight & Arn.	100	Roots	Dried
9	पी-9	कंकोली (Kankoli)	Roscoea purpurea Smith.	400	Rhizome	Dried
10	पी-10	क्षीर कंकोली (Kshir Kankoli)	Lilium polyphyllum D. Don	300	Bulb	Dried



लघु वनोपज प्रसंस्करण एवं अनुसंधान केन्द्र, बरखेड़ा पठानी, भोपाल



अधि.क्र./एम.एफ.पी.-पार्क/निविदा/रॉ/2026/156

दिनांक 17.02.2026

11	पी-11	महामाईदा छाल (Mahamaida Chhal)	Polygonatum verticillatum Linn.	1000	Stem bark	Dried
12	पी-12	माईदा छाल (Maida Chhal)	<a href="#">Litsea glutinosa (Lour.) C.B.Rob.</a>	1000	Stem bark	Dried
13	पी-13	मुर्वा मूल (Murva mool)	Marsdenia tenacissima	200	Roots	Dried
14	पी-14	नीम छाल (Neem Chhal)	Azadirachta indica A. Juss.	500	Stem bark	Dried
15	पी-15	पाढ़ल छाल/पतला छाल (Padhal Chhal/Patala chhal)	Stereospermum suaveolens (Roxb.) DC.	7000	Stem bark	Dried
16	पी-16	पलाश छाल (Palash Chhal)	Butea monosperma (Lam.) Taub.	600	Stem bark	Dried
17	पी-17	परिभद्रा (Paribhadra)	Erithrina indica Linn.	6500	Stem bark	Dried
18	पी-18	पाठा (Patha)	Cissampelos pareira	500	Whole plant	Dried
19	पी-19	पीपल छाल (Pippal Chhal)	Ficus religiosa Linn.	1000	Stem bark	Dried
20	पी-20	प्रस्थपर्णी (Prasthparni)	Uraria picta (Jacq.) DC.	3200	Whole plant	Dried
21	पी-21	नागबला (Nagbala)	Sida veronicaefolia Linn.	200	Whole plant	Dried